सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

धोरीमन्ना–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी –भागीरथराम आर.ए.एस.)

वाद संख्या:–345/2015 दर्ज तिथि:–03.09.2025

कुनणी देवी पुत्री अनाराम पत्नि रामाराम फौत के कायम मुकाम

1. केशाराम पुत्र कुनणी पत्नी रामाराम
2. भागीरथराम पुत्र कुनणी पत्नी रामाराम
3. जयकिशन पुत्र कुनणी पत्नी रामाराम

जाति विश्नोई निवासी जाणियों का मगरा नेड़ीनाडी हाल निवासी सउओं की बेरी मिठड़ा खुर्द तहसील धोरीमन्ना जिला बाडमेर

..............................वादीगण

बनाम

1. सूखराम पुत्र धनाराम
2. हरिकिशन पुत्र जावता
3. मंगली पुत्र जावता
4. रावलाराम पुत्र भारूराम उर्फ भोमाराम
5. गंगाराम पुत्र भारूराम उर्फ भोमाराम
6. लूगोदेवी पत्नी भारूराम उर्फ भोमाराम
7. शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा धोरीमन्ना
8. तहसीलदार धोरीमन्ना जिला बाडमेर

.... प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्ता
वादी:–श्री रामजीवन विश्नोई
प्रतिवादी:–श्री रामनिवास विश्नोई
राजस्व वाद अन्तर्गत धारा–88,53188
राजस्थान काश्तकारी अधि0–1955

–:निर्णय:–

निर्णय तिथि:–23.09.2025

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र बाबत् इस्तकराहक्क अन्तर्गत धारा–88,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। वाद पत्र का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रक[illegible] पुत्री अनाराम उर्फ उमाराम पत्नी रामूराम जाति विश्नोई ने न्या[illegible] में वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीनी व प्रतिवा[illegible] पुत्र अन्ना उर्फ उमा व धना थे। अना उ[illegible]की वारीशद[illegible] वादीनी एवं धना के वारीशदार प्रतिवादीगण 1 से 6 है। ग[illegible] जाणियों का [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:20:47 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमना

कुनणी के वारिसान केशा वगैरह बनाम सुखराम वगैरह
2025/346
मैन्युअल नंबर 345/2015
निर्णय दिनांक: 23.09.2025

खेत खसरा संख्या 160 रकबा 0.13 बीघा, खसरा संख्या 161 रकबा 153.07 बीघा एवं ग्राम खारी से नवसृजित गांव मायलों की बेरी के खेत खसरा संख्या 191 रकबा 0.12 बीघा , खसरा संख्या 192 रकबा 130.04 बीघा ,खसरा संख्या 246 रकबा 48.18 बीघा का पैतृक व पुश्तैनी आया हुआ है। उक्त संयुक्त आराजी में अना की विधिक वारिशान वादीनी द्वारा धारा 6 व 8 हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के अनुसार घोषणा का दावा पेश किया। जिस पर वादीनी का उक्त राजस्व वाद संख्या 345/2015 अनवान कुनणी देवी बनाम सुखराम हाजा न्यायालय द्वारा दिनांक 15.07.2015 को निर्णित हुआ। जिस पर अपीलान्ट सुखराम वगैरा ने एक अपील संख्या 44/2015 माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर के समक्ष प्रस्तुत करने पर माननीय न्यायालय ने अपील पर सुनवाई करते हुए अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार कर न्यायालय हाजा के उक्त वाद में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.07.2015 को अपास्त कर पत्रावली इस न्यायालय हाजा को प्रतिप्रेषित होकर प्राप्त होने पर उसी नंबर पर दर्ज किया जाकर उभयपक्ष को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादीनीगण के कायम मुकाम व प्रतिवादीगण मय वकुलाय न्यायालय हाजा उपस्थित हुए।

2. वादी अधिवक्ता ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 सपठित धारा 151 सीपीसी का प्रस्तुत कर लिखित कथन किया कि अदालत हाजा से निर्णित उक्त वाद में दौराने अपील विचाराधीन के वादीनी कुनणी पुत्र अनाराम जाति विश्नोई निवासी सउओं की बेरी तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर का अपने गांव में अकस्मात देहान्त हो गया तथा उनके विधिक वारिशान केशाराम पुत्र रामुराम, जयकिशन पुत्र रामूराम, व भागीरथ पुत्र रामूराम के अलावा कोई नहीं है जिस पर प्रतिवादीगण अधिवक्ता ने कोई आपति नहीं होने का लिखित कथन प्लीड करने पर वादी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 सपठित धारा 151 सीसीपी का स्वीकार किया जाकर वादी के कायम मुकाम का नाम वादपत्र के शीर्षक में मृतक वादीनी के स्थान पर संशोधित शीर्षक अनुसार स्वीकार किया जाकर रेकर्ड पर लिया गया। तत्पश्चात वादीगण मय वकुलाय एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 3 सपठित धारा 151 सीपीसी का प्रस्तुत कर कथन किया कि वादीनी कुनणी देवी ने पूर्व में हस्तगत प्रकरण में राजीनामा किया था लेकिन उक्त पत्रावली माननीय न्यायालय में संधारित आदेशिका में नहीं आ सकी जिस पर हस्तगत प्रकरण पुनःअपीलीय न्यायालय से वादीनी के कायम मुकाम व प्रतिवादीगण के मध्य वादग्रस्त अराजी को लेकर विवाद चल रहा है। वादग्रस्त आराजी में वादीगण का 1/2 हिस्सा वादीनी से जरिये निर्णय माननीय न्यायालय से प्राप्त हुआ जो वर्तमान में राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद है। अपीलय न्यायालय द्वारा पुनः समुचित सुनवाई का अवसर देते हुए हस्तगत प्रकरण की पत्रावली न्यायालय हाजा को प्राप्त होने पर वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य गांव के मौजिज लोगों ने मिल बैठकर राजीनामा इस आधार पर करवाया कि वादीगण एवं प्रतिवादी मामा–भाणेज का रिस्ता है के मध्य संबंध अच्छा रहे तथा उक्त विवाद को लम्बा नहीं चलाने चाहते है। जिस आधार पर वादग्रस्त आराजी [illegible] में बैठकर राजीनामा करवाया है। उसी अनुसार माफिक राजीनामा [illegible] प्रकरण में करवाने के दोनों पक्षकार इस्चुक है। जिसे [illegible] हैं। उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार [illegible] निवेदन पर [illegible] का प्राथना पत्र अन्तर्गत 23 नियम 3 सपठित धारा [illegible] किया जाकर माफिक संलग्न राजीनामा वादीगण का वाद [illegible] आज्ञा प्रदान कि गई।

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमना

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:20:47 IST
Reason: SelfAttested

3. प्रकरण में वादीगण व प्रतिवादीगण द्वारा मय वकुलाय उपस्थित न्यायालय होकर एक लिखित राजीनाम पेश किया–

- कि राजीनामा में वादग्रस्त खेत खसरा संख्या 161 रकबा 153.07 बीघा व खसरा संख्या 160 रकबा 13 बिस्वा में वादीनी का 1/2 हिस्सा से उनके वारीसान का 1/2 हिस्सा वर्तमान खातेदारी का है पर राजीनामा में वादीगण में वादीगण को पूर्व राजीनामा कुनणी के जीवनकाल के अनुसार ही वादीगण को 40 बीघा जमीन नक्शा में दक्षिण कॉर्नर से पूर्व की तरफ लम्बाई में देना तय किया है जिस पर वर्तमान में वादीगण का कब्जा व काश्त है तथा प्रतिवादीगण को माफिक राजीनामा दी जाने वाली आराजी के पूर्व सेढे पर कटाने या देय का रखा है तथा 40 बीघा का रकबा वादीगण को दिया है। उसी अनुसार साथ रहकर तरमीम करना स्वीकार है। बाकी जमीन वादीगण के काकाई मामा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 को जरिये राजीनामा देय तय किया है। राजीनामा के साथ वादग्रस्त आराजी का नजरी नक्शा परिशिष्ट 'अ' राजीनामा का अभिन्न अंग रहेगा।
- कि उक्त परिशिष्ट 'अ' बंटवारा अर्थात धारा 53 में ही हस्तगत प्रकरण में ही तरमीम करवाने हेतु इच्छुक है जिस आधार पर राजीनामा के प्रावधान आदेश 23 नियम 3 सपठित धारा 151 सीपीसी की शक्तियों के आधार पर परिशिष्ट 'अ' अनुसार बंटवारा किया जाना न्यायोचित है। जिस आधार पर पक्षकार वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने आप को इस राजीनामा के जरिये माननीय न्यायालय के समक्ष पाबंध करते हैं।
- कि प्रतिवादीगण इस राजीनामा के संबंध में वादीगण को कभी किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यह राजीनामा पक्षकारान अपने अपने वकीलों की उपस्थिति में सोच समझकर मिल बैठकर लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर तथा आपसी संबंधों को ध्यान में रखते हुए किया है।
- कि हस्तगत प्रकरण के सदर के प्रकरण में राजीनामा हो जाने से हस्तगत प्रकरण जरिये राजीनामा डिक्री दोनों पक्षकारों के चाहने से हस्तगत प्रकरण जरिये राजीनामा डिक्री दोनों पक्षकारों के चाहने से हस्तगत प्रकरण को जरिये राजीनामा निर्णित किया जाना न्यायसंगत है।
- अन्त में उभयपक्ष द्वारा राजीनामा में लिखित कथन किया कि जाणियों का मगरा खेत खसरा संख्या 161 रकबा 153.07 बीघा में वादीगण को संयुक्त 40 बीघा का संयुक्त खातेदार कृषक घोषित किया जावें। तथा शेष रकबा 113.07 बीघा मिलाकर कुल 114 बीघा प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी उनके पुश्तैनी हिस्सा अनुसार अर्थात प्रतिवादीगण संख्या 1 का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का संयुक्त 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 4 से 6 तक संयुक्त 1रु3 हिस्सा के खातेदारी घोषित कर प्रतिवादी संख्या 1 से 6 का सामलाती रखते हुए वादीगण का कुल रकबा की अराजी में 20/77 हिस्सा घोषित कर उक्त हिस्सा की आराजी खसरा संख्या 161 में रकबा 40 बीघा परिशिष्ट [illegible] पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड विभाजित किया जाकर [illegible] की पारित की जावे। तथा परिशिष्ट 'अ' को [illegible] आदेश/निर्णय करने का हुक्म फरमाने का निवेदन [illegible] किया है। प्रकरण में वादीनी व प्रतिवादीगण के मध्य विवाद का कोई [illegible] पत्रावली पर नहीं होने के

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:20:47 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना जिला बाड़मेर

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमना

कारण प्रकरण का प्रथम सुनवाई पर निर्णय किया जाना उचित प्रतीत होता है।

4. पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता वादीगध्स एवं प्रतिवादीगण की बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता द्वारा वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं तथा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 3 सपठित धारा 151 सीपीसी वास्ते आपसी राजीनामा/समझौता अनुसार निर्णय व डिक्री जारी करने का स्वीकार करने का मात्र दौहराते हुए आराजी पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत उक्त पैतृक आराजी में अपना हिस्सा निहित होने के आधार पर वादीनी व प्रतिवादी को राजीनामा अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण का हिस्सा संलग्न परिशिष्ट 'अ' अनुसार घोषित किया जाने का निवेदन किया। वादीगण एवं प्रतिवादी गण मय अधिवक्ता द्वारा राजीनामा अनुसार हिस्सा घोषित करवाने एवं परिशिष्ट 'अ' अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड विभाजित कर अंतिम डिक्री पारित करने पर अपनी लिखित सहमति के रूप में आदेशिका पर हस्ताक्षर/अगुष्ठ निशान किये।

5. मैनें विद्वान अधिवक्ता वादीगण व प्रतिवादीगणी की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में पेश राजीनामा अनुसार प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायसंगत प्रतीत होता है।

7. प्रकरण में वादीगण द्वारा मुतनाजा आराजी पर वादीगण व प्रतिवादीगण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 के तहत हिन्दू होने के कारण प्रकरण में सम्पति पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 के प्रावधानों के तहत मुताबिक कानूनी हिस्सा खातेदारी अधिकारों की घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। न्यायालय में वादीगण या प्रतिवादीगण राजीनामे के माध्यम से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 के तहत ही अनुतोष इकरार कर सकते हैं। प्रकरण में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 लागू होने तथा मुतनाजा आराजी प्रतिवादीगण की स्वअर्जित आराजी नहीं होकर पैतृक आराजी होने के आधार पर वादीगण व प्रतिवादीगण का अनुतोष मुताबिक हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 के अनुसार हक हिस्से तक स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

8. अतः दावा वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 से 6 का हिन्दु उतराधिकार अधिनियम 1956 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के तहत जरिये राजीनामा अनुसार उक्त आराजी पैतृक आराजी होने से स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। राजीनामा अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण के हिस्से की घोषणा किया जाना न्यायोचित है। तथा संलग्न परिशिष्ट 'अ' अनुसार वाद अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

वादीगण का दावा बाबत इस्तकरारहक्क आंशिक स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त आराजी में न्यायालय हाजा की प्रस्तुत राजीनामा अनुसार हिन्दु उतराधिकार अधिनियम 1956 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 व 53 के तहत वादीगण व प्रतिवादीगण को मुतनाजा आराजी हाल खसरा संख्या [illegible] खसरा संख्या 161 रकबा 153.07 बीघा [illegible] 40 बीघा का संयुक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:20:47 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमना

कुनणी के वारिसान केशा वगैरह बनाम सुखराम वगैरह
2025/346
मैन्युअल नंबर 345/2015
निर्णय दिनांकः 23.09.2025

खातेदार कृषक घोषित किया जाता है तथा शेष रकबा 113.07 बीघा मिलाकर कुल 114 बीघा प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी उनके पुश्तैनी हिस्सा अनुसार अर्थात प्रतिवादीगण संख्या 1 का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का संयुक्त 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 4 से 6 तक संयुक्त 1/3 हिस्सा के खातेदारी घोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 1 से 6 का सामलाती रखते हुए वादीगण का कुल रकबा की आराजी में 20/77 हिस्सा घोषित कर उक्त हिस्सा की आराजी खसरा संख्या 161 में रकबा 40 बीघा परिशिष्ट 'अ' स्थान पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड विभाजित किया जाकर अंतिम डिक्री किये जाने के आदेश दिये जाते है। वादीगण व प्रतिवादीगण को उक्त आराजी में घोषित हक हिस्से का पृथक–पृथक खातेदार दर्ज होने बाबत् राजस्व इंद्राज दुरूस्त करवाने का अधिकारी घोषित किया जाता है। संलग्न राजीनामा व परिशिष्ट 'अ' निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा।

निर्णय की पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाये।

आज 23.09.2025 को यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया गया।

23/9/25

(भागीरथ राम, आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
धोरीमन्ना–बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:20:47 IST
Reason: SelfAttested

कुनणी के वारिसान केशा वगैरह बनाम सुखराम वगैरह
2025 / 346
मैन्युअल नंबर 345 / 2015
निर्णय दिनांक: 23.09.2025

सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी

धोरीमन्ना–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी –भागीरथराम आर.ए.एस.)

वाद संख्याः–345 / 2015 दर्ज तिथिः–03.09.2025

कुनणी देवी पुत्री अनाराम पत्नि रामाराम फौत के कायम मुकाम

1. केशाराम पुत्र कुनणी पत्नी रामाराम
2. भागीरथराम पुत्र कुनणी पत्नी रामाराम
3. जयकिशन पुत्र कुनणी पत्नी रामाराम

जाति विश्नोई निवासी जाणियों का मगरा नेड़ीनाडी हाल निवासी सउओं की बेरी मिठड़ा खुर्द तहसील धोरीमन्ना जिला बाडमेर

..............................वादीगण

बनाम

1. सूखराम पुत्र धनाराम
2. हरिकिशन पुत्र जावता
3. मंगली पुत्र जावता
4. रावलाराम पुत्र भारूराम उर्फ भोमाराम
5. गंगाराम पुत्र भारूराम उर्फ भोमाराम
6. लूगोदेवी पत्नी भारूराम उर्फ भोमाराम
7. शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा धोरीमन्ना
8. तहसीलदार धोरीमन्ना जिला बाडमेर

.... प्रतिवादी

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना जिला बाड़मेर

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः–श्री रामजीवन विश्नोई
प्रतिवादीः–श्री रामनिवास विश्नोई
राजस्व वाद अन्तर्गत धारा–88,53188
राजस्थान काश्तकारी अधि0–1955

–ःपर्चा डिक्रीः–

निर्णय दिनांकः–23.09.2025

वादीगण का दावा बाबत इस्तकरारहक्क आंशिक स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। वादीगण [illegible] प्रतिवादीगण की संयुक्त आराजी में न्यायालय हाजा को प्र[illegible] रा[illegible]सा अनुसार हिन्दु उतराधिकार अधिनियम 1956 व राजस्थान [illegible]कारी अधिनियम 1955 की धारा 88 व 53 के तहत वादीगण [illegible] को मुतनाजा आराजी हाल खसरा संख्या [illegible] खेत खसरा संख्या 161

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:20:47 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमना

कुनणी के वारिसान केशा वगैरह बनाम सुखराम वगैरह
2025 / 346
मैन्युअल नंबर 345 / 2015
निर्णय दिनांक: 23.09.2025

रकबा 153.07 बीघा में वादीगण को संयुक्त 40 बीघा का संयुक्त खातेदार कृषक घोषित किया जाता है तथा शेष रकबा 113.07 बीघा मिलाकर कुल 114 बीघा प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी उनके पुश्तैनी हिस्सा अनुसार अर्थात प्रतिवादीगण संख्या 1 का 1 / 3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का संयुक्त 1 / 3 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 4 से 6 तक संयुक्त 1 / 3 हिस्सा के खातेदारी घोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 1 से 6 का सामलाती रखते हुए वादीगण का कुल रकबा की आराजी में 20 / 77 हिस्सा घोषित कर उक्त हिस्सा की आराजी खसरा संख्या 161 में रकबा 40 बीघा परिशिष्ट 'अ' स्थान पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड विभाजित किया जाकर अंतिम डिक्री किये जाने के आदेश दिये जाते है। वादीगण व प्रतिवादीगण को उक्त आराजी में घोषित हक हिस्से का पृथक–पृथक खातेदार दर्ज होने बाबत् राजस्व इंद्राज दुरूस्त करवाने का अधिकारी घोषित किया जाता है। संलग्न राजीनामा व परिशिष्ट 'अ' निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा।

यह पर्चा–डिक्री पालनार्थ हेतु तहसीलदार धोरीमन्ना को भिजवाई जावें। आदेश जारी हो। पक्षकारान अपना–अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

यह पर्चा–डिक्री आज दिनांक 23.09.2025 को मेरे द्वारा लिखवाई जाकर हस्ताक्षर एवं मुहर युक्त जारी की जाकर खुले न्यायालय में सुनाई गई।

(भागीरथराम आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर
धोरीमन्ना–बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:20:47 IST
Reason: SelfAttested